

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)

आदेश

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)



शहडोल दिनांक 26 जून, 2019

पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक पु.अ./शह./जि.वि.शा./557/2019 दिनांक 18-06-2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि बाहरी व्यक्तियों के आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाने से अपराधी की रोकथाम पतासाजी करना अत्यंत कठिन होता जा रहा है। शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के कारण मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति का भय बना हुआ है। शहडोल जिला संभागीय मुख्यालय के रूप में विकसित होने, कोयलांचल क्षेत्र होने से बाहरी व्यक्तियों का आवागमन होता रहता है। पुलिस द्वारा जांच करने पर इस प्रकार से बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित पता नहीं होने से जांच में परेशानी उत्पन्न होती है। इस प्रकार अपराधों की रोकथाम व इन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है, जिससे जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति से संकट का भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि शहडोल जिले में प्रतिदिन जुड़ने वाली नई आबादी की जानकारी संबंधित पुलिस थाने पर दी जाये, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जाकर लोक संपत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा हेतु समुचित कार्यवाही की जा सके।

अतः इन असामाजिक तत्वों द्वारा इन मकानों/नौकरों के रूप में असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल आशंकाओं के कारण जनसामान्य की जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाएँ भी व्याप्त हो रही है। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

अतः मैं ललित दाहिमा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल की सुरक्षा एवं लोक परिशांति को बनाये रखने हेतु शहडोल जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ।-

1. किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जावे। इसके पूर्व मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जावें। इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दी जावें। साथ ही पहचान पत्र आवश्यक रूप से लिया जावें।
2. घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जावें। साथ ही पहचान पत्र आवश्यक रूप से लिया जावें।
3. छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जावें। साथ ही पहचान पत्र आवश्यक रूप से लिया जावें।
4. होटल लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर दी जावे। साथ ही आईडीओ प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जावें।
5. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही पहचान पत्र आवश्यक रूप से लिया जावें।
6. पेंडिंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जावें। इसके उपरांत ही पेंडिंग गेस्ट रखा जावें। साथ ही पहचान पत्र आवश्यक रूप से लिया जावें।
7. ऐसे व्यक्तियों की सूचना 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो, तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जावें। साथ ही पहचान पत्र आवश्यक रूप से लिया जावें।

26/6/19

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा तथा होटल/लॉज/प्रतिष्ठान संचालकों मकान/दुकान मालिकों/ ठेकेदारों आदि के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व मकान मालिकों एवं सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा।

यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 26/06/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया। उक्त आदेश दिनांक 25/08/2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

26/6/19

(सलित दाहिमा)
जिला दण्डाधिकारी
जिला शहडोल (म.प्र.)

शहडोल दिनांक 26 जून, 2019

पृ.क्रमांक- /री.ए.डी.एम./2019/ 14
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (सी) विभाग, भोपाल।
- 2- आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक शहडोल रेंज शहडोल।
- 4- पुलिस उप महानिरीक्षक, शहडोल रेंज शहडोल।
- 5- पुलिस अधीक्षक, शहडोल। प्रतिमाह संलग्न प्रारूप में कृत कार्यवाही का विवरण दिया जावे।
- 6- अपर कलेक्टर/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल।
- 7- उप संचालक, जन सम्पर्क, शहडोल की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
- 8- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सोहागपुर/जैतपुर/जयसिंहनगर/ब्यौहारी जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 9- एस0डी0ओ0पी0 पुलिस।
- 10- उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)/जिला विशेष शाखा, शहडोल।
- 11- थाना प्रभारी थाना कोतवाली/थाना.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार-प्रसार लाउड स्पीकर से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित।
- 12- प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. कलेक्टोरेट, शहडोल की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 13- निदेशक, आकाशवाणी, शहडोल की ओर आदेश का प्रसारण हेतु अग्रेषित।
- 14- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, शहडोल।

26/6/19

जिला दण्डाधिकारी
जिला शहडोल (म.प्र.)